सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 87/07 **निर्णय दिनांकः–21–08–2019**

1. मोतीराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 डीजेएसएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. हेतराम पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी पटेल नगर हाल आबाद चक 2 डीजेएसएम तहसील पूगल जिला बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 08–12–2006
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री उमेश ऋषि, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 08–12–2006 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि की खातेदारी भूमि चक 2 डीजेएसएम के मुरब्बा नम्बर 165/56 में स्थित है। अपीलांट द्वारा इसी मुरब्बें में स्थित आराजीराज भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27—06—2006 को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक ओके/06/41—95 द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार, पूगल से आवंटन योग्य भूमि हेतु रिपोर्ट चाही गई। जिस पर संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 14—07—2006 को अपनी रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के मुरब्बें में निहित होने के कारण मुरब्बा नम्बर 165/56 के किला नम्बर 1, 2, 10, 16 व 25 की 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि के स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि का आवंटन बाले बाले रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कर दिया गया। जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि—धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार

करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट हेतराम द्वारा चक 2 डीजेएसएम के मुरब्बा नम्बर 165/56 के किला नम्बर 1, 2, 10, 16, 25 में कुल रकबा 4.14 बीघा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी

किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2014 पेज 249 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सीपीसी के आदेश 41 नियम 13 (2) के हवाले से मूल पत्रावली भिजवाने की अपेक्षा की गई। परीक्षण न्यायालय द्वारा गत् 12 वर्षो के दौरान बार–बार स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद पत्रावली एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। इस संबंध में नियंत्रक अधिकारी, जिला कलेक्टर को भी सूचित किय गया, परन्तु मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाई गई। पक्षकारों ने संभावना जाहिर की है कि अपील प्रस्तुत करने के उद्वेश्य को निष्फल करने के लिये परीक्षण न्यायालय के कार्मिकों ने मूल दस्तावोज गायब कर दिये है। गत् 12 वर्षो तक बार–बार तलबी जारी होने तथा अर्द्वशासकीय पत्र जारी होने के उपरान्त पत्रावली उपलब्ध नहीं करवना उक्त संभावनाओं की पुष्टि करता है।

भू—राजस्व अधिनियम की धारा 80 में अपीलीय मामलों में जहॉ अपील मियांद बाहर है या श्रवण योग्य नहीं हो परीक्षण न्यायलय का रिकार्ड तलब किया जाना आवश्यक नहीं है। परन्तु जहॉ परीक्षण न्यायालय द्वारा मूल रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रतियों पर विश्वास करते हुए अपील का निस्तारण करने के अलावा अपील न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है। अतः अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर इस अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा दिनांक 27—06—2006 को स्मालपेच के रूप में भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया था। उक्त आवेदन पर कोई विचार किये बिना रेस्पोडेन्ट हेतराम की दरखवाश्त को स्वीकार करते हुए वही भूमि आवंटित कर दी गई। अपीलांट को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया तथा हितबद्व पक्ष होने के बावजूद उसकी पीठ पीछे निर्णय कर दिया गया। ऐसी स्थिति में संभव नहीं था कि आवंटन अधिकारी के इस निर्णय की जानकारी समय पर अपीलांट को मिले। अपीलांट की दरखवाश्त पर कार्यवाही की जानकारी लेने पर उसे रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन की जानकारी होने का कथन संतोषजनक है। अतः अपीलांट द्वारा मियांद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत दरखवाश्त को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए 10 माह के विलम्ब का शमन किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, चक 2 डीजेएसमएम के मुरब्बा नम्बर 165/56 में स्माल पेच हेतु उपलब्ध भूमि के आवंटन हेतु उसी मुरब्बे के ही खातेदार मोतीराम द्वारा दिनांक 27—06—2006 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के समक्ष स्माल पेच रकबा आवंटन हेतु दरखाश्त पेश की गई। उक्त दरखवाश्त पर तहसीलदार पूगल द्वारा दिनांक 14—07—2006 को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि के सटकर अपीलांट के अलावा रेस्पोडेन्ट हेतराम की खातेदारी भूमि दर्शायी गई। ऐसी स्थिति में दोनों पड़ौसियों के आवेदन पत्रों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रतिस्पर्धी दरों पर भूमि का विक्रय किया जाना चाहिए था। परन्तु आवंटन अधिकारी ने अपीलांट द्वारा पहले प्रस्तुत दरखवाश्त को छिपाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2

के पक्ष में एकतरफा आवंटन आदेश जारी कर दिया। आवंटन आदेश में अन्य पड़ौसी का कॉलम खाली छोड़ा गया है। आवंटन अधिकारी की इस एकतरफा कार्यवाही से स्पष्ट है कि उक्त अधिकारी ने हितबद्व होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हेतराम को वादग्रस्त भूमि आवंटित करने का निर्णय पहले ही कर लिया था। इस प्रकार का आवंटन उपनिवेशन नियमों तथा विधिक प्रक्रिया से असगंत होने के कारण निरस्तनीय है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—12—2006 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट व अन्य काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21—08—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर